an>

Title: Regarding import of wheat at higher price.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सस्ती दर पर उपलब्ध गेहूं न खरीदकर महंगे मूल्य पर आयात करना देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। यह किसानों के साथ अन्याय और विश्वासघात है। अधिक कीमत पर अन्तराष्ट्रीय बाजार से गेहूं खरीदने का फैसला दिन दहाड़े भारतीय किसान की लूट और डकैती है। यह व्हीटगेट काण्ड है। इसे देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। जो गेहूं वर्ष 2007 में 263 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से आयात करने का टेण्डर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दाम बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके दस दिन बाद ही 325 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से 5.7 लाख टन गेहूं आयात करने का फैसला कर लिया और अब सरकार 390 डालर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात को हरी झण्डी दे दी है। भारतीय किसान के गेहूं का समर्थन मूल्य 825 रूपए प्रति क्विंटल है। किसान 1100 रूपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहा है। सरकार भारतीय किसान को यह दाम नहीं देगी, लेकिन विदेशी किसान को 1600 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रही है। यह भारतीय किसान के साथ अन्याय और उसका अपमान है। इसके साथ ही विदेशी गेहूं खाने के लायक भी नहीं होता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस सम्पूर्ण प्रकरण में भारी गड़बड़ी हुई है। भारत सरकार विदेशी गेहूं के आयात को तुंत बंद करे, किसानों को पूरा समर्थन मूल्य दे और करोड़ों रूपए के इस गेहूं घोटाले की सीबीआई से जांच कराए।